



2026:AHC:17593

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1025/2026

जलालुद्दीन एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बलराम मिश्र

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम मिश्र राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका आवेदक जलालुद्दीन और जैनुल अब्दीन @ जैनुल की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 463/2025, धारा 2 (बी) (i) और 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना बखीरा, जिला संत कबीर नगर में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसे दुर्भावनावश इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के एक मामले का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं हैं और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। उपर्युक्त प्रकरण के अतिरिक्त उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदकों के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़-छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण, जो दिनांक 30.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देते हैं कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में प्रकरणों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया है।

अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन **की अनुमति दी जाती है।**

आवेदकों, **जलालुद्दीन और जैनुल अब्दीन @ जैनुल** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

(iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से ट्रायल न्यायालय के समक्ष (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदकगण इस आशय का एक शपथपत्र दायर करेंगे कि जब साक्षी निचली न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

आवेदकगण व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

जनवरी 27, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।